बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 287388 पटना, दिनांक- 07/10/16

ग्रा0वि05/आधार (बैठक)-14-15/2015

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी ,

सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी

सभी उप विकास आयुक्त

बिहार ।

विषय :- **राज्य के विद्यालयों में दिनांक-17.10.2016 से आधार पंजीकरण हेतु विशेष शिविरों के आयोजन के संबंध में ।**

प्रसंग :- मुख्य सचिव, बिहार के पत्र संख्या-9/विविध-17/2016-1227, दिनांक-16.09.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (प्रति संलग्न) के सन्दर्भ में कहना है कि पूर्व में दिनांक-19.09.2016 से दिनांक-01.10.2016 तक राज्य के विद्यालयों में आयोजित विशेष आधार पंजीकरण शिविरों की उपलब्धि की समीक्षा दिनांक-05.10.2016 को आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की गई । इन शिविरों में मात्र 223312 नागरिकों का आधार पंजीकरण कार्य किया जा सका है, जो कि लक्ष्य से बहुत कम है ।

विदित हो कि अभी भी राज्य में कुल व्यस्क जनसंख्या (18 वर्ष से ऊपर) का 96 प्रतिशत, 05 से 17 वर्ष आयु वर्ग वाले का 58 प्रतिशत एवं 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग वाले बच्चों का 13 प्रतिशत आधार सृजित किया जा सका है । अभी भी शेष 26 प्रतिशत जनसंख्या का आधार पंजीकरण बाकी है । आधार पंजीकरण के शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पुनः राज्य के विद्यालयों में दिनांक-17.10.2016 से दिनांक-27.10.2016 तक तीन (03) चरणों में विशेष शिविरों के आयोजन का निर्णय दिया गया है । शिविरों के आयोजन की तिथि चरणवार निम्नवत् अंकित है :-

1. प्रथम चरण दिनांक- 17.10.2016 से 20.10.2016 तक (4 दिन)
2. द्वितीय चरण दिनांक-21.10.2016 से 24.10.2016 तक (4 दिन)
3. तीसरा चरण दिनांक- 25.10.2016 से 27.10.2016 तक (3 दिन)

आधार पंजीकरण हेतु आयोजित उक्त शिविरों की सफलता हेतु उपरोक्त वर्णित प्रसंगाधीन पत्रों में दिए गए निदेश के अलावा निम्नलिखित कार्रवाई की जानी है :-

- प्रत्येक चरण में जिला के सभी प्रखंडों के एक से दो विद्यालयों में ही आधार पंजीकरण विशेष शिविर का आयोजन किया जायेगा, साथ ही प्रत्येक विद्यालयों में कम से कम चार (04) से पॉच (05) पंजीकरण किटों की व्यवस्था की जानी है जिससे कि पंजीकरण का कार्य तीव्र गति से किया जा सके । (विद्यालयों एवं पंजीकरण एजेंसियों को सूची भेजी जा रही है ।
- UIDAI एवं शिक्षा विभाग के पदाधिकारी राज्य के सभी आधार पंजीकरण एजेंसी से समन्वयन कर प्रखंडवार किटों की उपलब्ध्ता सुनिश्चित करेंगे तथा तदनुसार सभी संबंधित पदाधिकारी /कर्मचारी/ पंजीकरण एजेंसी को संसूचित करेंगे ।
- विद्यालयों में आरंभ होने वाले विशेष शिविरों को व्यवस्थित रूप से चलाने हेतु 3-से 4 चौकीदारों की व्यवस्था भी किया जाना है ।
- प्रत्येक विद्यालयों में आधार पंजीकरण हेतु आयोजित विशेष शिविर हेतु अबाधित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गई है । अगर फिर भी विद्युत सेवा बाधित होती है तो स्थानीय पदाधिकारी (प्रखंड विकास पदाधिकारी) से अविलम्ब संपर्क कर इसका समाधान करेंगे एवं जेनरेटर की सुविधा उपलब्ध करायें ।
- आधार पंजीकरण हेतु कार्यरत सभी ऑपरेटर के आवासन की व्यवस्था नि:शुल्क संबंधित विद्यालयों में की जाय । ऑपरेटर द्वारा उचित शुल्क देने पर उन्हें वही पर भोजन भी उपलब्ध करवाया जाय ।
- सभी आधार पंजीकरण एजेंसी अपने- अपने ऑपरेटरों को फोटोयुक्त Identity Card उपलब्ध करायेंगे ।
- यदि किसी विद्यालय में एक ही एजेंसी के 5 ऑपरेटर कार्यरत है तब उक्त स्थिति में ऑपरेटरों के कार्यो के अनुश्रवण हेतु संबंधित एजेंसी द्वारा एक सुपरवाईजर भी नियुक्ति की जायेगी ।
- विशेष शिविर पंजीकरण केन्द्र पर एक- एक बैनर लगाना अनिवार्य है । जिसमें बच्चों तथा अन्य लोगों का नि:शुल्क आधार पंजीकरण तथा आधार पंजीकरण से संबंधित अन्य सेवा (यथा- आधार कार्ड में सुधार करना) के लिए UIDAI, भारत सरकार द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क की जानकारी अंकित हो । जिला द्वारा यह कार्य किया जाएगा ।
- विद्यालयों में आयोजित विशेष शिविरों में आधार पंजीकरण कार्य के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की समस्या आने पर पंजीकरण एजेंसी अविलम्ब स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग से नामित नोडल पदाधिकारी तथा ग्रामीण विकास विभाग के राज्य नोडल पदाधिकारी, आधार परियोजना से संपर्क कर उसका निराकरण करना सुनिश्चित करेंगे ।

विशेष पंजीकरण शिविरो के प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने हेतु संलग्न प्रासंगिक पत्र के द्वारा विहित प्रपत्र उपलब्ध कराया जा चुका है, तथा कार्यक्रम के सतत् अनुश्रवण हेतु संबंधित पदाधिकारियों का दूरभाष संख्या- एवं ई-मेल भी प्रासंगिक पत्र में उल्लेखित है ।

अनुलग्नकः यथोक्त ।

विश्वासभाजन

6/10/2016

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सचिव ।

ज्ञापांक ---287388--------- पटना, दिनांक---07/10/16---------

प्रतिलिपि:- शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव/ सचिव//सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- सहायक महानिदेशक, UIDAI, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

6/10/2016

सचिव ।

पत्रांक: 9/विविध–17/2016–1227
<u>शिक्षा विभाग,</u> बिहार, पटना

प्रेषक :

अंजनी कुमार सिंह,
मुख्य सचिव
बिहार ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
<u>सभी उप विकास आयुक्त,</u>
बिहार।

पटना, दिनांक–16.09.2016

विषय : सभी लाभुकों का आधार पंजीकरण एवं बैंक खाता से आधार संख्या की संबद्धता (Seeding) सुनिश्चित कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त निदेशों के आलोक में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) एवं आधार आधारित भुगतान प्रणाली को शीघ्र सभी योजनाओं में लागू किया जाना है । इसके लिए विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों/नागरिकों का आधार पंजीकरण कराना एवं उनकी आधार संख्या को बैंक खातों के साथ संबद्ध (Seed) किया जाना आवश्यक है। मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच दिनांक–02/09/2016 को संपन्न बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में इसके कियान्वयन के संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई की जानी है :–

- राज्य में कुल व्यस्क जनसंख्या (18 वर्ष से उपर) का 91 प्रतिशत, 05 से 17 वर्ष आयु वर्ग वाले का 51 प्रतिशत एवं 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग वाले बच्चों का 7 प्रतिशत आधार सृजित किया जा चुका है । अभी भी शेष 30 प्रतिशत जनसंख्या का आधार पंजीकरण बाकी है जिसे तीन (03) महीने के अन्दर पूर्ण कराया जाय ।
- शिक्षा_विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त रूप से राज्य के सभी हाई स्कूलों में आधार पंजीकरण हेतु कैम्प का आयोजन करेंगे । जिला पदाधिकारी अधीनस्थ विभागों एवं पंजीकरण एजेंसियों की बैठक बुलाकर कैम्प के आयोजन हेतु निदेश देंगे तथा उसकी लगातार समीक्षा करेंगे । शिक्षा_विभाग के जिला कार्यकम पदाधिकारी (सेकेन्ड्री) जिला में नोडल पदाधिकारी होंगे । उप विकास आयुक्त पूर्व से ही जिला के आधार नोडल पदाधिकारी है ।
- UIDAI द्वारा हाई स्कूलों में आधार पंजीकरण के लिए पर्याप्त संख्या में किटों को उपलब्ध कराया जाय।
- आधार पंजीकरण के कैम्प आयोजन की सूचना एवं नागरिकों में आधार पंजीकरण कराने के लिए जागरूकता लाने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय ।
- सभी संबंधित विभाग भी अपने अपने विभाग से संबंधित योजनाओं के लाभार्थियों का आधार पंजीकरण सुनिश्चित कराते हुए एवं आधार संख्या के साथ उसकी सीडिंग के कार्य को 3 माह में पूर्ण करायें ।
- आधार पंजीकरण/आधार सीडिंग से संबंधित विभाग के स्थानीय पदाधिकारियों यथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, आपूर्ति पदाधिकारी, कार्यकम पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना

पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा आदि को अविलम्ब Advance Search facility हेतु ID तथा Password उपलब्ध करवाने हेतु ग्रामीण विकास विभाग को सूची भेजा जाय ।

- ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आधार पंजीकरण एवं सीडिंग की समीक्षा एवं विडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रत्येक 15 दिनों पर किया जायेगा ।

ग्रामीण विकास विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा विशेष शिविर/अभियान के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यक्रम को कार्यान्वित कराया जाना है। जिसके लिए समयबद्ध कार्यक्रम निम्नवत् नीचे अंकित है :-

1. विशेष शिविर/अभियान के अंतर्गत जिलावार, प्रखंडवार, विद्यालयवार सभी लाभुकों का आधार पंजीकरण एवं बैंक खाता में आधार Seeding का कार्य दिनांक **19.09.2016** से **24.09.2016** एवं **26.09.2016** से **01.10.2016** तक संलग्न कार्यक्रम के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।
2. जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम के कियान्वयन के पूर्व संबंधित पदाधिकारियों एवं आधार पंजीकरण एजेंसियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की जायेगी। यदि जिला पदाधिकारी बाढ़ एव अन्य कारणों से आवश्यक समझे तो, स्थानीय स्तर पर विशेष शिविर /अभियान के आयोजन की तिथि में परिर्वतन कर सकते है । इस समीक्षा बैठक की कार्यवाही एवं पंजीकरण रोस्टर UIDAI कैम्प ऑफिस पटना के ई-मेल- campoffice.patna@uidai.net.in, rajesh.singh@uidai.net.in & bihar.rdd@uidai.net.in पर उपलब्ध कराया जाये एवं शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
3. इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन एवं सतत अनुश्रवण हेतु शिक्षा_विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा (RMSA) को अधिकृत किया जाय। प्रखंड स्तर पर इस अभियान का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी करेंगे। प्रखंड स्तर पर संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं पंचायत के मुखिया एवं पंचायत सचिव के साथ बैठक कर इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाय।
4. इस पत्र के साथ जिलों में कार्यरत आधार पंजीकरण करनेवाली एजेंसियों की सूची संलग्न है । साथ ही, इस पत्र के साथ जिलो के लिए UIDAI की तरफ से नामित नोडल पदाधिकारियों की जिलावार सूची एनेक्चर संलग्न है।
5. संबंधित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक इस विशेष शिविर/अभियान के प्रभारी होंगे तथा कार्यक्रम के लिए आधारभूत संरचना के साथ उपस्कर एवं निर्वाध रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक यह सुनिश्चित करेंगे कि कैम्प स्थल के प्रारंभ से एक 'May I help you' बुथ बनाकर एक शिक्षक प्रतिनियुक्त कर देंगे। यह शिक्षक आधार पंजीकरण के लिए आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से पूछेगें कि उनका आधार पंजीकरण हुआ है या नहीं, यदि पंजीकरण हुआ है तथा आधार नहीं मिला है तब संलग्न प्रपत्र भरकर जमा करेंगे तथा इस प्रपत्र को Advance Search facility के माध्यम से आधार संख्या जानने के लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं विभाग द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी । इस पत्र के साथ Advance Search facility का विपत्र भी संलग्न है। इस पत्र को सभी प्रधानाध्यापक भरकर अपने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (RMSA) से सत्यापित कराकर, UIDAI, कैम्प कार्यालय पटना को अग्रेषित करेंगे। तत्पश्चात सभी प्रधानाध्यापक को Advance Search facility को user ID और Password उनके Email ID पर भेज दिया जायेगा, जिससे कि विधार्थियों का आधार संख्या प्राप्त कर सकेंगे जिनका पंजीकरण तो हुआ है, किन्तु आधार मिला नहीं है ।

विशेष शिविर के पूर्व की जाने वाली तैयारी :-

- स्कुल प्रचार द्वारा आधार पंजीकरण हेतु POI/POA पत्र पहले से तैयार करके रखा जायेगा। POI / POA का परिपत्र इसके साथ संलग्न है ।
- प्रत्येक लाभुकों से विहित प्रपत्र भरवाकर संबंधित बैंक को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक सुनिश्चित करेंगे कि सभी लाभुकों का आधार पंजीकरण एवं बैंक खाता में आधार Seeding संपन्न हो गया है। साथ ही संलग्न प्रपत्र में इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
- इस विशेष आधार शिविर में विद्यार्थियों के अलावा अन्य लाभूकों का भी निःशुल्क आधार पंजीकरण किया जायेगा ।

उपरोक्त कार्यक्रम अंतर्गत प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में भरकर बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद के ई–मेल msp.office@gmail.com एवं UIDAI के ई–मेल campoffice.patna@uidai.net.in एवं पर उपलब्ध करायी जाय। विहित जो विभाग द्वारा प्रोग्राम किया हुआ सॉफ्ट कॉपी जिलों के मेल पर भी भेजा जायेगा । इस कार्यक्रम के सतत अनुश्रवण हेतु श्रीमति गायत्री शाही, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं श्री भरत भूषण, साधन सेवी के अधीन नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। शिक्षा विभाग से इस कार्यकम के लिए श्री अजित कुमार, अ0स0पदा0 (मा0 शिक्षा) मो0 न0–9430832126, ई–मेल ajit.kumar9192@gmail.com नोडल पदाधिकारी रहेंगे। जबकि ग्रामीण विकास विभाग से श्रीमति कनक बाला, विशेष कार्य पदाधिकारी, मो0 न0:9471007141, ई–मेल– bihar.rdd@uidai.net.in नोडल पदाधिकारी होंगी। UIDAI से भी श्री राजेश कुमार सिंह, सहायक महानिदेशक, UIDAI कैम्प कार्यालय, पटना, मो0 न0–9431806888 पर समस्याओं के समाधान हेतु उपलब्ध रहेंगे ।

अनुलग्नक: यथोक्त ।

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

ज्ञापांक :9/विविध–17/2016....1227 पटना, दिनांक– 16.09.2016

प्रतिलिपि :– सभी विभागों के प्रधान सचिव /सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

मुख्य सचिव

SARVA SHIKSHA ABHIYAN,BIHAR

SCHOOL-WISE AADHAAR ENROLMENT STATUS

SCHOOL NAME			
DISTRICT		**BLOCK**	
HEADMASTER NAME		**MOBILE NO.**	

S NO.	DATE	*CLASS*	*STUDENT NAME*	Enrollment ID (If Enrolled Today)				Aadhaar Number (If the student already has Aadhaar)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								

District Allotment Annexure -I			
SL. No.	District	Nodal Person from UIDAI	Mobile No
1	Araria	Prasun Hore	7091099456
2	Arwal	Rakesh Ranjan	9102787471
3	Aurangabad	Rakesh Ranjan	9470065784
4	Begusarai	Prabhat Kumar	9470065784
5	Banka	Prasun Hore	7091099456
6	Kaimur (Bhabhua)	Rakesh Ranjan	9102787471
7	Bhagalpur	Prasun Hore	7091099456
8	Bhojpur	Rakesh Ranjan	9102787471
9	Buxar	Rakesh Ranjan	9102787471
10	Saran (Chhapra)	Prabhat Kumar	9470065784
11	Darbhanga	Prasun Hore	7091099456
12	E. Champaran	Prabhat Kumar	9470065784
13	Gaya	Rakesh Ranjan	9102787471
14	Gopalganj	Prabhat Kumar	9470065784
15	Jehanabad	Prabhat Kumar	9470065784
16	Jamui	Rakesh Kumar	9470484526
17	Katihar	Prasun Hore	7091099456
18	Khagaria	Prasun Hore	7091099456
19	Kishanganj	Prasun Hore	7091099456
20	Lakhisarai	Prabhat Kumar	9470065784
21	Madhepura	Prasun Hore	7091099456
22	Madhubani	Prasun Hore	7091099456
23	Munger	Rakesh Kumar	9470484526
24	Muzaffarpur	Rakesh Ranjan	9102787471
25	Nawada	Arun Tiwary	7781000977
26	Nalanda	Prabhat Kumar	9470065784
27	Patna	Rakesh Ranjan	9102787471
28	Purnea	Prasun Hore	7091099456
29	Rohtas	Rakesh Ranjan	9102787471
30	Saharsa	Prasun Hore	7091099456
31	Samastipur	Rakesh Ranjan	9102787471
32	Shekhpura	Prabhat Kumar	9470065784
33	Sheohar	Prasun Hore	7091099456
34	Sitamarhi	Prasun Hore	7091099456
35	Siwan	Prabhat Kumar	9470065784
36	Supaul	Prasun Hore	7091099456
37	Vaishali	Prabhat Kumar	9470065784
38	W. Champaran	Prabhat Kumar	9470065784

SARVA SHIKSHA ABHIYAN,BIHAR

SCHOOL-WISE AADHAAR ENROLMENT STATUS

SCHOOL NAME:			
DISTRICT		BLOCK	
Operator Aadhaar No.		*Station ID*	

S NO.	DATE	CLASS	TOTAL STUDENTS IN CLASS	ACTUAL AND PHYSICAL ENROLLMENT AS ON TODAY			NO. OF CHILDREN WHO ALREADY HAVE AADHAAR			NO. OF CHILDREN WHO HAVE ENROLLED FOR AADHAAR BEFORE BUT NOT RECEIVED AADHAAR LETTER		
				B	G	T	B	G	T	B	G	T
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
TOTAL												

DECLARATION

This is to certify that the Aadhaar enrollment of all the students in this school has been completed during the camp organised dated ______________ to ______________.

Headmaster Name		
Mobile Number		Seal and Signature of Headmaster